



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


31AC 632328

अपत्र-पत्र के साथ सलम है



श्री. साकिर अ. लाल

'प्ररूप 26
(नियम 4क देखिये)



2

13 - गौतम बुद्ध नगर निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

श्री. लाल लाल (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

भाग-क
श्री. मो० साबिर अंसारी ** पुत्र/पुत्री/पत्नी हाजी जमाल
आयु 41 वर्ष, जो नि.क्र. सं. 449 मो० तरीमान कदवा दुकान (डाक का पूरा पता बुलन्दशहर
लिखे) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ
/ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

(1) मैं आल इस्लामा मुहम्मद कांग्रेस (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया
अभ्यर्थी/ ** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 70 रुजू (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं०
के क्रम सं० पर प्रविष्टि है।

(3) मेरा दैनिक टेलीफोन नम्बर 09097399033 है/ है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई
है) है।

श्री. जय प्रकाश साहू (पैन) के ब्यारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रार्थना :-



क्र. सं०	नाम	पैन (PAN)	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
	कम सं०			
	नाम			
	Regd. No. 8495			
	G.B. Nagar			
		AFJPA2665P	2012-13	183301/-
2.	पति या पत्नी जजाला अंसारी	कोई नहीं	नहीं	नहीं
3.	आश्रित-1 तैयब अंसारी	नहीं	नहीं	नहीं
4.	आश्रित-2 इमरान अंसारी	नहीं	नहीं	नहीं
5.	आश्रित-3 दिहाना अंसारी	नहीं	नहीं	नहीं

(5) " ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरहित किया गया है / किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अनियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा /करेगी) :-

(i) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरहित किया गया है / किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यारे	नहीं
-----	--	------

श्री. साबिर अंसारी

(क)	न्यायालय (अधिनियम/अधिनियमों) की धारा(धाराएँ) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	नहीं
(ख)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(घ)	न्यायालय जिसके(जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की दिरधना की गई	नहीं
(ङ)	तारीख(तारीखें), जिनको आरोप दिरचित किए गए थे	नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। (पूर्वोक्त मद(1) में दर्जित मामलों से भिन्न)

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यारे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नहीं
(घ)	उपरोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए अपील की गई अपील(अपीलों)/आवेदन (अवेदनों) यदि कोई हो के ब्यारे	नहीं



किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा-8 की उपधारा (1) या धारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंड दिया गया है/नहीं दिया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यारे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नहीं
(ख)	न्यायालय(न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/हैं। यदि हाँ, तो अपील के ब्यारे और वर्तमान प्रार्थना	नहीं

(7) मैं, स्वयं मेरे पति/पत्नी तथा सभी आश्रितों की आश्रितियों (जंगम और रथावर आदि) का विवरण निम्नानुसार देता/देती हूँ :-

अ-जंगम आश्रितियों के ब्यारे :-
(टिप्पणी :-

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा दर्शाते हुए, संयुक्त नाम पर आश्रितियों का विवरण भी दिया जाए।

— श्री साकिर अली

2. जमा/विनिधान के मामले में कम सं०, रकम, जमा तिथि, स्कीम, बैंक/ संस्था का नाम तथा शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।
3. सूचीबद्ध-कंपनियों की दशा में बंधपत्रों/शेयरों डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
4. यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।
5. रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्कतया दिए जाने हैं।

4

कम सं०	विवरण	रकम	मंतीया पत्नी गजल अंसारी	आश्रित-1 नमच अंसारी	आश्रित-2 इमरान अंसारी	आश्रित-3 दिवाना अंसारी
(i)	हाथ में नकदी	1,75,000/-	50,000/-			
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (निम्न जमा, आयधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों में जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम।	PNB शारदा खुर्जा A/C-026 700210 0046628 Rs-5600/-	कॉई-नहीं	कॉई-नहीं	कॉई-नहीं	कॉई-नहीं
(iii)	कंपनियों पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा युनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम		कॉई-नहीं	कॉई-नहीं	कॉई-नहीं	कॉई-नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाकघर बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम		कॉई-नहीं	कॉई-नहीं	कॉई-नहीं	कॉई-नहीं
(v)	किसी व्यक्ति अथवा इकाई जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिये गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम		कॉई-नहीं	कॉई-नहीं	कॉई-नहीं	कॉई-नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/गाट/पोत (निर्माण, पंजीकरण सं० आदि, क्रय का वर्ष का विवरण तथा रकम)		कॉई-नहीं	कॉई-नहीं	कॉई-नहीं	कॉई-नहीं
(vii)	जेवरात, सोने-चाँदी तथा मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (वजन तथा मूल्य का विवरण दें)		कॉई-नहीं	50 gm Rs-1,50,000/-	कॉई-नहीं	कॉई-नहीं
(viii)	किसी अन्य आस्तियों जैसे-दावों/हित का मूल्य।		कॉई-नहीं	कॉई-नहीं	कॉई-नहीं	कॉई-नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	Rs 1,81,600/-	2,00,000/-	कॉई-नहीं	कॉई-नहीं	कॉई-नहीं



श्री साकिर-21-11-19

आ- स्थावर आस्तियों का विवरण :-

(टिप्पणी :-

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा दर्शाते हुए, संयुक्त नाम पर सम्पत्तियों भी दर्शाई जायें।
2. इस फॉर्मेट में प्रत्येक भू-खण्ड या भवन या अपार्टमेंट का पृथक रूप से उल्लेख करें।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी नाम	आश्रित-1 नाम	आश्रित-2 नाम	आश्रित-3 नाम
(i)	कृषि भूमि अवस्थिति(अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं
	क्षेत्रफल(एकड़ में कुल नाप)	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हो या नहीं)	मरान	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्या की तारीख	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं
	विकास से निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹-3,00,000/-	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं
(ii)	कृषि भूमि अवस्थिति(अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल नाप)	125 वर्ग गज	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है(हो या नहीं)	नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्या की तारीख	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं
	विकास से निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल नाप)	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं	काई-नहीं



श्री सागर कुमार

निर्णित क्षेत्र(वर्गफुट में कुल माप)	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही
ज्या विरासत में आई सम्पत्ति है(हों या नहीं)	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही
स्थाजित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही
विकास से निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही
अनुमानित धालू बाजार मूल्य	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही
(iv) आवासीय भवन (अपार्टमेंटों सहित) अवस्थिति(अवस्थितियों) सर्वेकार संख्याक(संख्याएं) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही
निर्णित क्षेत्र(वर्गफुट में कुल माप)	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही
ज्या विरासत में आई सम्पत्ति है(हों या नहीं)	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही
स्थाजित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही
विकास से निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही
अनुमानित धालू बाजार मूल्य	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही
(v) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही
(vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल धालू बाजार मूल्य	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही

NOTARY
 Vijay Pal Singh
 Advocate
 Regd. No. 8434
 G.B. Nagar
 GOVT. OF INDIA

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शौघ्यों के ब्यारे विवरण निम्नानुसार देता/देती हूँ :-

(टिप्पणी: कृपया बैंक, संस्थान, निकाय या व्यक्ति का नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यारों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं०	विवरण	स्वर्य	पति/पत्नी नाम	आश्रित-1 नाम	आश्रित-2 नाम	आश्रित-3 नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था(संस्थाओं) के ऋण या शौघ्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही	कई-ही

— श्री. साहिल अ. लाल

पूर्वोक्त दर्जित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम बकाया रकम ऋण की प्रकृति	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	
कोई अन्य दायित्व	कोई नहीं	कोई नहीं			
दायित्वों का कुल योग	कोई नहीं		कोई नहीं		
(ii) सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	कोई नहीं		कोई नहीं		
जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	कोई नहीं		कोई नहीं		
विद्युत् आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	कोई नहीं		कोई नहीं		
टेलीफोन/मोबाइल की आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	कोई नहीं		कोई नहीं		
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर्स सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	कोई नहीं		कोई नहीं		
आयकर शोध्य	कोई नहीं		कोई नहीं		
धनकर शोध्य	कोई नहीं		कोई नहीं		
निष्ठाकर शोध्य	कोई नहीं		कोई नहीं		
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	कोई नहीं		कोई नहीं		
विक्रय कर शोध्य	कोई नहीं		कोई नहीं		
कोई अन्य शोध्य	कोई नहीं		कोई नहीं		
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	कोई नहीं		कोई नहीं		
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्बलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	कोई नहीं				

(9) वृत्ति या उपजिविका के बारे में

क. स्वयं

ख. पति या पत्नी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम के साथ उच्चतम स्कूल/विश्वविद्यालयी शिवा का विवरण दें)

(उस स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष, जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया।)

श्री. सावित्र अलार

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्योरों का उद्घरण :

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमारी मा. सावित्री अग्रवाल				
2.	डाक का पूरा पता	नि० सं० न० 449 मी० तरीनान कस्बा - खुजा जिला - कुलदुबई				
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	70 - खुजा, उत्तरप्रदेश				
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	आल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस				
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरहित किए गए	कोई नहीं				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालय) ने संज्ञान लिया है (ऊपर सूचीबद्ध) उल्लिखित मामलों से भिन्न	कोई नहीं				
	(iii) ऐसे लंबित मामलों की संख्या, जिनमें सिद्ध दोष प्रमाणित गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा(2) या उपधारा(3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय)	कोई नहीं				
7.	का स्थायी लेखा संख्या (PAN No.)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	APJPA 2665P	2012-13	193381		
	(ख) पति या पत्नी	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं		
	(ग) आश्रित	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं		
8.	आस्तियों और दायित्वों के बारे में रूपरेखा					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
ख	स्थावर आस्तियाँ	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
(i)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की कय कीमत	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
(ii)	क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास / सनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

मा. सावित्री अग्रवाल



(iii)	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
	(क) स्वार्जित आस्तियों (कुल मूल्य)	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
	(ख) विरासती आस्तियों (कुल मूल्य)	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
9.	दायित्व	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

सच्चापत्र शैक्षिक अर्हता :

कक्षा 7

Vijay Pal Singh
Advocate

Regd. No. 8496
G.B. Nagar

GOVT. OF NCT OF DELHI

(प्रमाणपत्र) डिप्लोमा/उपाधि पाठ्यक्रम के पूरे नाम के साथ स्कूल/विश्वविद्यालयी शिक्षा का विवरण (उस स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष, जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया)

सत्यापन

श्री. साबिर अ. साह

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषयवस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद सं 5 और 6 में उल्लिखित दोष सिद्धि का नामला या संबंधित मामले से भिन्न कोई दोष सिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 22.03.2014 को सत्यापित किया गया।

श्री. साबिर अ. साह

अभिसाक्षी

नोट:-

1. शपथपत्र नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को अधिकतम 3.00 बजे अपराह्न तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए।
2. शपथपत्र पर ओथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
3. सभी खाने भरे जाने चाहिए और कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी मद के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तो या 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. शपथपत्र या तो टंकित होना चाहिए या पठनीय और स्वच्छ तरीके से लिखा होना चाहिए।

नोट 5 : अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ-पत्र दाखिल करने के सम्वन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिदिल) वर्ष 2008 की सं० 121-रिसरजेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य एवं दिए गए दिनांक 13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कालम भरे जाने आवश्यक है। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ-पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जाँच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ-पत्र के सभी कालम भरे हुए हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देंगे। मा० न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे : 'शून्य' या लागू नहीं होता या 'ज्ञात नहीं है, जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाई जायेगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जाँच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

नोट 6 : शपथ-पत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए :-
मेरा टेलीफोन नं० 0999973790 है/
मेरा ईमेल आई डी (यदि कोई हो) है,
और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) है।